न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2018-00101RAAJodhpur2018-70RTA225 Nakhatsingh ors Vs Sumersingh etc

1. नखत सिंह पुत्र फतेहसिंह
2. हिम्मत सिंह पुत्रा फतेहसिंह
3. श्रीमती मोहर कवर पत्नी फतेहसिंह
4. आम सिंह पुत्र गजेसिंह
5. अर्जुन सिंह पुत्र डूंगरसिंह ;फौतद्ध के कायम मुकाम
   - 5.1. मोहन कंवर पत्नी अर्जुन सिंह
   - 5.2. भोमसिंह पुत्र अर्जुन सिंह
   - 5.3. छैलु कवर पुत्री अर्जुन सिंह

   दोनों नाबालिग जरिये संरक्षक वली माता मोहन कवर पत्नी अर्जुन सिंह
6. खगार सिंह पुत्र नगसिंह
7. सुजान सिह पुत्रा नगसिंह
8. पवन कंवर पत्नी नगसिंह

सभी जातियान् राजपूत निवासीगण खिरजा आशा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुमेर सिंह पुत्र मानसिंह
2. रघुनाथ सिंह पुत्र मानसिह
3. जस्सु कवर पत्नी मानसिह
4. हरिसिंह पुत्र मानसिंह

   सभी जातियान राजपूत निवासीगण खिरजा आशा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।
6. मेहताब सिंह पुत्र नगसिंह
7. भोमसिंह पुत्र नगसिह

   सभी जातियान राजपूत निवासीगण सिरजा आशा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 सुमेरसिंह व अन्य बनाम नखत सिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 सुमेरसिंह व अन्य बनाम नखत सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 मई 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 105 रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा ग्राम खिरजा खास तहसील शेरगढ़ में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 56 बीघा 1 बिस्वा की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत कैम्प मौखेरी में रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या छः व सात के सम्मनों पर तामील रिपोर्ट में भी इनके दुबई एवं पूना रहने का हवाला दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड एडी की रसीदे के आधार पर अप्रार्थीगण की तामील मानते हुए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 की भूमि के दक्षिण दिशा की माठ माठ होते हुए कदीमी रास्ता सड़क से मिलान करता है, हालांकि अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 के बीचो बीच रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अपीलांट के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 के पडौस में ही खसरा नम्बर 125 व 137 की कृषि भूमि आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में कटाणी रास्ता दर्ज है। उक्त खसरान की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 125 के पड़ौस में स्थित है तथा खसरा नम्बर 105 व खसरा नम्बर 125 व 137 के बीच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के सगा चाचा श्री पदमसिंह के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 124 की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 124 में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को आने–जाने का रास्ता आया हुआ है, जिसका पीढ़ियो से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते की दूरी बहुत ही निकटतम कम एंव सुविधाजनक है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलान्ट को तंग परेशान एवं अपीलाट का खेत खराब करने की नियत से झूठे एक मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण रेस्पोडेंट्स न्यायहित में खसरा नम्बर 124 की भूमि में से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नही आया हुआ है तथा न ही उक्त भूमि में रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में विधि विरुद्ध तरीके से तैयार की है। विचारण न्यायालय द्वारा लघुतम रास्ते के विकल्प पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 09 जून 2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के आवागमन हेतु मौके पर लघुतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता मार्क सी से डी मौके पर उपलब्ध है। उक्त वैकल्पिक रास्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन के चाचा पदमसिंह की खातेदारी भूमि खसरा नं. 124 से जुड़ा हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ते पर गौर किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 138 के बीचो–बीच में से रास्ते का आदेश पारित किया है जो धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश विधि–विरूद्ध एवं धारा 251–ए की मंशा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 सुमेरसिंह व अन्य बनाम नखत सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2018 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तों बाबत जांच रिपोर्ट उभय पक्ष की उपस्थिति में तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधिसम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर